

जिला स्तरीय वन अधिकार समिति जिला खरगोन
:: आदेश पत्रिका ::

उपखण्ड का नाम :- बडवाह

वि०ख० का नाम :- बडवाह

ग्राम पंचायत :- बडवाडा, मुख्यारा, उमरिया, रमाणा, झिगडी, सिरलाय

प्रकरण क्रमांक / 310/ बडवाह खरगोन

दिनांक 27/02/2018

अनुसूचित जन जाति एवं अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के अंतर्गत सामुदायिक दावा प्रकरण उपखण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बडवाह के माध्यम से प्राप्त हुआ है। प्राप्त दावा प्रकरण का अवलोकन किया गया।

Gauge CONVERSION PROJECT Mhow Khandwa Western Railway Line के निर्माण हेतु वनमण्डल बडवाह के अंतर्गत परिक्षेत्र बलवाडा के कक्षा क्रमांक आर.एफ. 105,106,107,108,110 रकबा 19.922 हे० प्रभावित वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु अनुसूचित जनजाति और अन्य परम्परागत वन निवासी (वन अधिकारों की मान्यता) अधिनियम 2006 के तहत संबंधित सभी ग्राम पंचायत बलवाडा, मुख्यारा, उमरिया, रमाणा, झिगडी, सिरलाय में ग्राम स्तरीय वन समिति एवं उपखण्ड स्तरीय समिति बैठक का आयोजन कर लिया गया है। तथा सभी ग्राम सभा की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है। जिसके प्रमाण पत्र अनुसार कोई भी दावा आपत्ति प्रस्तुत नहीं किया गया है। Gauge CONVERSION PROJECT लोक हित इस वृहत परियोजना के निर्माण हेतु उक्त ग्राम पंचायतों के प्रमाण पत्रों के अनुसार अनापत्ति जाहिर करते हुए अनुशंसा की गई है।

समस्त औपचारिकताओं/प्रक्रियाओं का पालन पूर्ण कर लिया गया है तथा ग्रामसभा ने व्यपवर्तन के प्रस्ताव के विवरण को समझ लिया है। उक्त कार्य पर अपना अभिमत तथा सहमति व्यक्त की गई होने से प्रोजेक्ट हेड खरगोन ट्रांसमिशन लिमिटेड को वन संरक्षण अधिनियम 1980 तथा वन अधिकार अधिनियम 2006 के अंतर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी किया जावे।

दावा प्रकरण में नियमानुसार अग्रतर कार्यवाही सुनिश्चित करते हुए मूल दावा ग्राम स्तरीय वन अधिकार समिति की अनुशंसा व उप खण्ड स्तरीय वन अधिकार समिति बडवाह की अनुशंसा के आधार पर Gauge CONVERSION PROJECT लोक हित की इस वृहत परियोजना के निर्माण करने की अनुशंसा की जाती है।

सदस्य एवं 27/2/18
वनमण्डलाधिकारी
जिला स्तरीय
वन अधिकार समिति बडवाह

सचिव एवं

सहायक आयुक्त
जिला स्तरीय
वन अधिकार समिति खरगोन

अध्यक्ष एवं कलेक्टर
जिला स्तरीय
वन अधिकार समिति खरगोन